प्रेस नोट **दिनांक 25.08.2026**

छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में स्कूल प्रबंधक को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्र के कुशल निर्देशन मे थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2026 को हलधरपुर से पूर्वी गेट के पास से मु0अ0सं0- 173/26 धारा 75(2)/115(2)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र विरेन्द्रकान्त सिंह निवासी कुडसर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0-173/26 धारा 75(2)/115(2)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. अशोक सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र विरेन्द्रकान्त सिंह निवासी कुडसर थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 25.08.2026

2.स्थान- हलधरपुर से पूर्वी गेट के पास

दहेज हत्या के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2026 को पवनी मोड़ के पास से मु0अ0सं0- 361/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1.नागेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 रामकरन चौहान, 2. नितेश चौहान पुत्र नागेन्द्र चौहान व 3. उर्मिला देवी पत्नी नागेन्द्र चौहान निवासीगण ग्राम गदुरा (मझवारा) थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 361/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1.नागेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 रामकरन चौहान, निवासी ग्राम गदुरा (मझवारा) थाना घोसी जनपद मऊ

2. नितेश चौहान पुत्र नागेन्द्र चौहान निवासी ग्राम गदुरा (मझवारा) थाना घोसी जनपद मऊ

3. उर्मिला देवी पत्नी नागेन्द्र चौहान निवासी ग्राम गदुरा (मझवारा) थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 25.08.2026

2.स्थान- पवनी मोड़ के पास

अश्लील हरकत करने व अश्लील गाना गाने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2026 को वीर अब्दुल हमीद पब्लीक स्कूल मर्यादपुर के पास से मु0अ0सं0- 76/26 धारा 296 बीएनएस थाना रामपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश गौड़ पुत्र सुरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 76/26 धारा 296 बीएनएस थाना रामपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. अविनाश गौड़ पुत्र सुरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सां0 24/2026 धारा 351(2)/352 BNS थाना रामपुर, मऊ।
2. मु0अ0स0 32/2026 धारा 87/137(2) BNS थाना रामपुर, मऊ।
3. मु0अ0स0 76/2026 धारा 296 BNS थाना रामपुर, मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 25.08.2026

2.स्थान- वीर अब्दुल हमीद पब्लीक स्कूल मर्यादपुर के पास

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 10,000/- वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2026 को आवेदक कयामुद्दीन पुत्र वकील अहमद ग्राम खैरामुहम्मदपुर पवई जनपद आजमगढ़ का गुम/ खोये हुए 01 अदद मोबाइल फोन INFINIX HOT40I कीमती लगभग- 10,000/- (दस हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 25.08.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.अनिल पुत्र हरिहर राजभर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना रामपुर जनपद मऊ, व 2.हरिहर पुत्र श्री किशुन राजभर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।

2.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.देवेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी तारनपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, व 2. महेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी तारनपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 25.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 33 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1420 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 644 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।